PWD
UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – cepdrant@yahoo.com

पत्रांक 1242/36सी.

दिनांक रानीखेत ~~मई~~ 15/06 ,2024.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में सबोली बैण्ड से तौलबुधानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.077 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 10443/2015)।

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का कार्यालय पत्रांक 67/FP/UK/ROAD/10443/2015 दिनांक 07.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अनुरोध कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा 6 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिसका विन्दुवार निराकरण ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है, जो निम्नवत् है :–

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	बिन्दु संख्या–2 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त सूचना का ऑन लाईन पोर्टल पर संशोधन किया जाना अपेक्षित है।	बिन्दु संख्या–2 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त सूचना को संशोधन कर ऑन लाईन पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।
2	बिन्दु संख्या 3 के क्रम में अवगत कराना है कि GPS Map के स्थान पर Google map प्रेषित किये गये है, जबकि PGS Map मूल प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने है।	बिन्दु संख्या–3 की सूचना के अनुपालन में जी0पी0एस0 मैप के स्थान पर गूगल मैप त्रुटिवश अपलोड कर दिया गया था उसके स्थान पर जी0पी0एस0 मैप की मूल प्रति पोर्टल पर ऑन लाईन कर मूल प्रति आपको प्रेषित की जा रही है।
3	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2011-FC(Vol) दिनांक 06.01.2022 में वर्णित व्यवस्था के पुर्ननिधारण किया गया है एवं पत्र संख्या–5–3/2011-FC(Vol) दिनांक 19.01.2022 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ऐसे प्रस्तावों को चिन्हित किया गया है, जिनमें एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देयक धनराशि जमा करायी जानी है। अपने स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित करने का कष्ट करें।	एन0पी0वी0 जमा करने हेतु उच्च स्तर से जमा करने हेतु जो भी निर्देश दिये जायेंगे। विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा कर दी जाएगी।
4	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044/1–42(III) दिनांक 22.02.2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम धूरा की भूमि चयनित की गयी थी। उक्त भूमि वन पंचायत होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पुनः भूमि की मांग की गयी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम मसडियाबांज ग्राम भीताकोट व ग्राम डूंगरा की 14.154 है0 आवंटन की गयी उक्त सिविल भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर दिया गया है। सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण/मानचित्र संलग्न कर ऑन लाईन अपलोड कर मानचित्र मूल में आपको प्रेषित किया जा रहा है।
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों का वैज्ञानित नाम सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित वृक्षो की सूची ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है।

क्रमशः पेज–2 पर

	भारत सरकार के निर्देशानुसार स्पष्ट मलवा निस्तारण योजना संलग्न की जाय। मलवा निस्तारण हेतु चयनित नाप भूमि के सम्बन्ध में भूमि स्वामी की अनापत्ति संलग्न करने का कष्ट करें।	मलुवा निस्तारण योजना तथा मलुवा निस्तारण हेतु चयनित नाप भूमि के भू–स्वामियों की अनापत्ति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रपत्रों की हार्ड कापी ऑन लाईन अपलोड कर आपको प्रेषित की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।
15.06.21

पत्रांक /36सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(द्वितीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1223 /36सी.   दिनांक रानीखेत 14/6/,2024.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– 1. जनपद अल्मोड़ा में सबोली बैण्ड से तौलबुधानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.077 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 10443/2015)।
2. जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा भिकियासैण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.676 है0 वन भूमि भूमि के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0 10518/2015)।

सन्दर्भ :– **E.D.S.** दिनांक 10.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित मोटर मार्गो में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करने हेतु आपके द्वारा E.D.S. दिनांक 10.06.2024 द्वारा प्रस्ताव लौटाया गये है, जबकि उपरोक्त दोनो मोटर मार्गो में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर हार्ड कापी इस कार्यालय के पत्र सं0 1141/36सी. दिनांक 04.06.2024 एवं पत्रांक 1102/36सी. दिनांक 31.05.2024 द्वारा पूर्व में प्रेषित कर दी गयी है।

संलग्न :– पत्रों की छायाप्रति।

(इं. ओंकार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 1223 /36सी.   तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(द्वितीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

36 C LETTER-/ARVIND2055